न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

विविध प्रकरण क्रमांक 2724–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.8.2013 पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी,टीकमगढ़ – प्रकरण क्रमांक 190/2012–13 अपील

रतन सिंह यादव पुत्र स्व. मजबूत सिंह
निवासी पुष्पा स्कूल के पास,टीकमगढ़ ----आवेदक

विरूद्ध

1– विजय बहादुर सिंह पुत्र राव पृथ्वीसिंह
निवासी, सेल सागर मोहल्ला टीकमगढ़
2– अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ
3– तहसीलदार टीकमगढ़
4– जसरथ सिंह पुत्र मजबूत सिंह यादव
पुष्पा स्कूल के पास टीकमगढ़ ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)

आ दे श
(आज दिनांक 8 –11 –2015 को पारित)

यह विविध आवेदन अनुविभागीय अधिकारी,टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 190/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.8.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 सहपठित 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सार यह है कि तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 150 अ 6/1987-88 में पारित आदेश दिनांक 4-6-13 से टीकमगढ़ किला स्थित भूमि खसरा कमांक 152 लगायत 165, 167, 229 लगायत 232 कुल किता 19 कुल रकबा 10.66 एकड़ बल्देवसिंह, सूरजसिंह के पंजीकृत विकय पत्र वर्ष 1968 के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर व्दारा उक्त भूमि विक्रेता बल्देवसिंह का हिस्सा 1/3 मानने के आधार पर पक्षकारों के बीच हिस्सा विभाजन का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध लखन लाल ने अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ के समक्ष अपील कमांक 190/12-13 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने अंतरिम आदेश दिनांक 30.8.2013 पारित किया तथा निर्णय लिया कि प्रथम अपर जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ के न्यायालय में एम.जे. सी.नंबर 14/2013 एंव एम.जे.सी. नंबर 19/2013 विचाराधीन है। इन प्रकरणों के निराकरण उपरांत ही अपील में अंतिम निर्णय लिया जायेगा, अपील कार्यवाही स्थगित रख दी। अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 30.8.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25.8.2014 को यह विविध आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 सहपठित 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

3/ विविध आवेदन में दर्शित बिन्दुओं पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 8 के अवलोकन से पाया गया कि इस धारा में राजस्व मण्डल की अधीक्षण शक्तियॉ बताई गई हैं जो उसकी अपीलीय या पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता के अध्यधीन हैं। समस्त प्राधिकारियों पर उस सीमा तक अधीक्षण की शक्ति होगी जहां तक कि ऐसे प्राधिकारी ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही

करते हैं और वह उनसे विवरणियॉ मांग सकेगा। इसी प्रकार म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 में प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी आदेश, जो कि न्याय के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिये या न्यायालय की प्रकिया के दुरूपयोग के निवारण के लिये आवश्यक है, देने की राजस्व न्यायालय की अंतनिर्हित शक्ति को सीमित करती है या उसे अन्यथा प्रभावित करती है।

विचाराधीन विविध आवेदन अनुविभागीय अधिकारी,टीकमगढ़ द्वारा अपील क्रमांक 190/12-13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.8.2013 के विरूद्ध दिया गया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतरिम स्वरूप का होकर निगरानी योग्य है, जिसके विरूद्ध विविध आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है। वैसे भी विविध आवेदन अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के अंतरिम आदेश दि. 30.8.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में दि. 25.8.2014 को लगभग 11 माह 25 दिवस के अंतर पर प्रस्तुत किया है जो अवधि-वाह्य है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 - अनुचित विलम्ब क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 47 सहपठित परिसीमा अधिनियम 1963 - धारा -5 - विलम्ब के लिये माफी - प्रत्येक दिन के विलम्ब का समुचित समधान नहीं कराया गया एंव विलम्ब का पर्याप्त हेतुक नहीं बताया - विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कारणों से आवेदक व्दारा प्रस्तुत विविध आवेदन अवधि वाह्य पाये जाने एंव प्रचलन योग्य न होने से अमान्य किया जाता है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर